न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर

पीठासीन अधिकारी:— सोनू कुमार गुर्जर, आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या:—18/25 दायर दिनांक : 28.04.2025

1 श्री मथुरलाल पिता बांकिया उर्फ बाकेराव लबाना निवासी बांकडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

—वादी

बनाम

1 श्री गोविन्दलाल पिता बांकिया उर्फ बाकेराव लबाना निवासी बांकडा तहसील सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 श्री जगदीश पिता बांकिया उर्फ बाकेराव लबाना निवासी बांकडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3 श्री भुमिधारी तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

<u>वाद अर्न्तगत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकार अधिनियम</u>
<u>व सपठीत धारा 151 जाब्ता दिवानी व धारा 212 रा.टी.एक्ट</u>
<u>वाद बाबत खातेदार काश्तकार घोषित करने व</u>
<u>स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने</u>

उपस्थित :—श्री कर्तव्य शाह वादी की ओर से।
श्री श्रवण रावल प्रतिवादीगण की ओर से।

निर्णय दिनांक 23.06.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 गांव बांकडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी होकर एक ही परिवार एवं एक ही पिता की संतान होकर सगे भाई भाई है। प्रतिवादी संख्या 3 भुमिधारी जो उक्त वाद में आवाश्यक पक्षकार है। वादी पेशे से राजकीय सेवा से सेवानिवृत होकर घर पर ही निवास कर रहे है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त कब्जेशुदा पैतृक कृषिभुमि ग्राम बांकडा में खाता संख्या 44, खसरा नम्बर 103, 109, 110, 129, 226, 229, 246, 255/2, 82, 94, 95, 96 खेत किता 12 कुल रकबा 2.4362 हैक्टेयर भुमि पर काबिज होकर लम्बे समय से पारिवारिक बंटवारे के अनुसार ही काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। तथा उक्त भुमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मालिक होकर लम्बे अर्से से काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा पूर्व में मौजा बांकडा के खाता संख्या 44 खेत किता 1, खसरा नम्बर 128 के कुल रकबा 0.2995 हैक्टेयर में वादी को उसके हिस्से की भुमि का बक्षीस आवश्यकता होने पर किया गया था। जिससे खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

128 में किसी प्रकार की दाद वादी को आवश्यकता नहीं है। वादी के पिता बांकिया उर्फ बाकेराव द्वारा बांकडा, (पीठ) जागीर के समय अपनी जीवित अवस्था में ही भुप्रबन्ध सैटलमेंट विभाग राजस्थान राज्य के सेटलमेंट कर्मियों द्वारा रिकॉर्ड में नाम जोडने को लेकर हिदायत पर नाबालिंग पुत्र के नाम जोडने से इंकार करने पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता द्वारा अपने दो बालिंग पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम कॉलम संख्या 2 में अंकित आराजी में नाम जुडवा दिए गए थे। जिसकी जानकारी वादी को कुछ समय पूर्व ही हाल जमाबंदी की नकल निकलवाई तो पता चला की उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम के साथ वादी का नाम दर्ज नहीं हुआ है। वादी सरकारी नौकरी में होकर अन्यत्र तबादला होने से समय नहीं मिलने के कारण रिकॉर्ड में नाम जुडाने की प्रकिया को पुर्ण नहीं करवा पाए थे। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कई बार कॉलम संख्या 2 में अंकित आराजी में नाम जोडने को लेकर बातचीत करने पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाने पर नाम जोडने को लेकर सहमति व्यक्त करने का जवाब देते रहे। जिससे समय व्यतीत होने लगा। वादी अपने पद से सेवानिवृत हो चुके है। तथा वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड में नाम जुडाना आवश्यक होने से वादी ने पटवारी एवं तहसीलदार से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम जोडकर खातेदार काश्तकार घोषित करने की बातचीत करने पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई है। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। जो म्याद अवधि में पेश है। जमाबंदी सेटलमेट डिपार्टमेन्ट राजस्थान राज्य डिविजन उदयपुर द्वारा मौजा बांकडा जागीर ठिकाना पीठ तहसील डूंगरपुर राजस्थान द्वारा संवत 2008 में वाक्या वल्द मलुकचंद के नाम दर्ज रिकॉर्ड था। जिसके बाद संवत 2019 बंदोबस्त विभाग द्वारा फर्द तुलनात्मक के साथ संवत 2019 में भू–प्रबन्ध सेटलमेंट विभाग राजस्थान द्वारा वागसिंह उर्फ बाक्या उर्फ बाकेराव के नाम दर्ज जमीन को संवत 2019 के सेटलमेंट में लापरवाही पूर्वक भुलवंश दो पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम ही ग्राम बांकडा में खाता संख्या 44, खसरा नम्बर 103, 109, 110, 129, 226, 229, 246, 255/2, 82, 94, 95, 96 खेत किता 12 कुल रकबा 2.4362 हैक्टेयर भुमि में दर्ज कर विधि एवं नियम की भारी भुल की गई है। नियमानुसार वागसिंह उर्फ वाक्या उर्फ बांकेराव के तीनों पुत्र विधिक वारिसान के नाम नियमानुसार वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना था। लेकिन सेटलमेंट कर्मियों की भुल से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से वादी को न्याय से वंचित होना पड रहा है। ऐसे में ग्राम बांकडा में खाता संख्या 44, खसरा नम्बर 103, 109, 110, 129, 226, 229, 246, 255/2, 82, 94, 95, 96 खेत किता 12 कुल रकबा 2.4362 हैक्टेयर में वादी का नाम रिकॉर्ड में दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की मौजा पीठ एवं रामसौरजुना में पैतृक आराजी में नियमानुसार वादी का नाम जुडा है। प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त कब्जेशुदा पैतृक कृषिभुमि ग्राम बांकडा में

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

खाता संख्या 44, खसरा नम्बर 103, 109, 110, 129, 226, 229, 246, 255/2, 82, 94, 95, 96 खेत किता 12 कुल रकबा 2.4362 हैक्टेयर भुमि में वादी के हिस्से में आयी भुमि पर काश्त करने व उपयोग उपभोग करने में रूकावट पैदा नहीं करे न ही उक्त भुमि से वादी को बेदखल करने की कोशिश करे व मात्र नाम के आधार पर उक्त आराजी का कोई हिस्सा दस्तावेज के जरीए किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करे। वादी को ग्राम बांकडा में खाता संख्या 44, खसरा नम्बर 103, 109, 110, 129, 226, 229, 246, 255/2, 82, 94, 95, 96 खेत किता 12 कुल रकबा 2.4362 हैक्टेयर का कब्जे एवं विधिक वारिसान का पैतृक आराजी पर जन्म से अधिकार निहित होने के कारण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा एवं उनके पूर्वजो द्वारा ही वादग्रस्त आराजी को कुंआ एवं बोरवेल एवं खेतीबाडी कर उपजाउ बनाया गया है। वादी को नाम मात्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा उपयोग उपभोग करने में रूकावट पैदा नहीं करे न ही बेदखल करने की कोशिश करे। व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मात्र नाम के आधार पर वादग्रस्त उक्त आराजी का कोई हिस्सा किसी अन्य को रहन, बक्षीस, वसीयत, विक्रय या किसी अन्य को हस्तान्तरण नहीं करे। वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय में जरीए अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब एवं आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण तीनों ही सगे भाई होकर एक ही पिता की संतान है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण पुर्ण संतुष्ट है। हम दोनों पक्षों के बीच में आपसी राजीनामा हो चुका है। ग्राम बांकडा में खाता संख्या 44, खसरा नम्बर 103, 109, 110, 129, 226, 229, 246, 255/2, 82, 94, 95, 96 खेत किता 12 कुल रकबा 2.4362 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के साथ वादी का नाम जोडने पर कोई आपती एवं उजरदारी नहीं है हम दोनों पक्षों आपसी राजीनामा स्वीकार कर वाद के अनुसार निर्णय कर डिक्री किये जाने पर पुर्ण सहमत है।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया कि वादी एवं प्रतिवादीगण तीनों ही सगे भाई होकर एक ही पिता की संतानें है। वादी को ग्राम बांकडा में खाता संख्या 44, खसरा नम्बर 103, 109, 110, 129, 226, 229, 246, 255/2, 82, 94, 95, 96 खेत किता 12 कुल रकबा 2.4362 हैक्टेयर का कब्जे एवं विधिक वारिसान का पैतृक आराजी पर जन्म से अधिकार निहित होने के कारण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

हमने उभय पक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपस्थित साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है और खातेदार काश्तकार अपने खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण का बराबर का हक एवं अधिकार निहित है। ऐसे में वादग्रस्त आराजी में वादी को ग्राम बांकडा में खाता संख्या 44, खसरा नम्बर 103, 109, 110, 129, 226, 229, 246, 255/2, 82, 94, 95, 96 खेत किता 12 कुल रकबा 2.4362 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण के साथ 1/3 हिस्से के कब्जे एवं विधिक वारिसान का पैतृक आराजी पर जन्म से अधिकार निहित होने के कारण वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझता हूँ।

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम बांकडा में खाता संख्या 44, खसरा नम्बर 103, 109, 110, 129, 226, 229, 246, 255/2, 82, 94, 95, 96 खेत किता 12 कुल रकबा 2.4362 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण के साथ 1/3 हिस्से के कब्जे एवं विधिक वारिसान का पैतृक आराजी पर जन्म से अधिकार निहित होने के कारण 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

(सोनू कुमार गुर्जर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner